

अन्तिम डिक्री

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 213/2024

अल्लाहिता पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम

अलाबक्श पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)  
जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
दलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
शिकन्दर सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
मंदिर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
सुरजिन्द्र कौर पत्नी श्री हरगोविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
मंदर सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री बुगा सिंह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड  
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
वलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री बुगा सिंह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड  
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती गुलाब कौर पत्नी श्री अंतर सिंह जाति कुम्हार निवासी  
मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
श्यामू सिंह पुत्र स्व. श्रीमती गुलाब कौर पत्नी श्री अंतर सिंह जाति कुम्हार निवासी  
मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।  
जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
विपिनदीप सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

## घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :- 5.9.2024..

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
ऑफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई  
श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के  
पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2024/2948 दिनांक 02.08.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादी का वाद पत्र मुताबिक खाता  
विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।  
वक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 9/8 में कुल 0.506 है. मौके पर कब्जाकाशत की  
भूमि :-

अल्लाहिता पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली  
कि.नं.

पत्र. मु.नं.  
142/190 30

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.

कुल 0.506 है. मय जे.मु. नहरी कृषि भूमि

वक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 10/54 में कुल 1.265 है. मौके पर कब्जाकाशत की  
भूमि :-

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

अल्पादिता पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली  
 पु.नं. 134/189 25 कि.नं. 22,23,24/0.253 है प्र  
 कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि  
 श्रीकृष्ण सिंह पुत्र सुरेश्वर सिंह 1/2 हि., जगदीश सिंह, दलाजिन्द सिंह पिरगन  
 अल्पादिता सिंह 1/2 हि. ब.हि.ब. समस्त जाति जलसिख निवासीगण किकरवाली  
 पु.नं. 134/187 9 कि.नं. 18,19/0.253 है प्र.  
 कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि

एक 5 बी.एल.पी. के खाता सं. 41/22 में कुल 5.819 है. मौके पर कब्जाकाशत की  
 सूची -

अल्पादिता पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली  
 पु.नं. 134/189 25 कि.नं. 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. जै.मु.  
 कुल 0.253 है. मय जै.मु. नहरी कृषि भूमि

श्रीजगदीश कौर पत्नी श्री हरजीविन्द सिंह, सुरेन्द्र कौर पत्नी हरदीप सिंह ब.हि.ब. समस्त  
 जाति जलसिख निवासीगण मोरजण्ड सिखान  
 पु.नं. 144/190 32 कि.नं. 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है. जै.मु सरता  
 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है. जै.मु सरता  
 कुल 0.506 है मय जै.मु. नहरी कृषि भूमि

जितेन्द्र सिंह, निपेनदीप सिंह पि. कुलदीप सिंह 5.022 हि. ब.हि.ब. मंदर सिंह पुत्र  
 सुरदेव सिंह 0.038 हि जाति कुम्हार सा. मोरजण्ड सिखान  
 पु.नं. 145/189 24 कि.नं. 13,14/0.253 है.प्र. 15/1/0.228 है.,  
 15/2/0.025 है. जै.मु खाला  
 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है. जै.मु खाला  
 17,18,19,20,21,22,23,24/0.253 है.प्र.  
 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. जै.मु खाला  
 1/0.253 है.  
 11,20,21/0.253 है.प्र.  
 1,10,21/0.253 है.प्र.  
 कुल 5.060 है. मय जै.मु. नहरी कृषि भूमि

उक्तानुसार आता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर  
 उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम  
 कब्जाकाशत के अभाव में नियमानुसार कलमजन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्राप्त  
 विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद  
 सुताधिक डिक्री किया जावे।

जिल  निल  मुब्लिक  गिल  बाबत   
 जिल  खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
 वसूलाबी तक  को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसबब मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 5.9.2014 को  
 जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार जीना)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
 संगरिया